

GCMs-2023/576

FORM NO. III

फर्द अहकाम  
(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला  
नीमकाथाना (राज.)

मिसल नम्बर :- 250 / 2023

पीठासीन अधिकारी :- जयसिंह, आर.ए.एस.

किस्म प्रार्थना पत्र :- अधारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

शंकर लाल S/O माली राम जाति खाली नि 2 धूलपुर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.9.23	<p>आज यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत बाद जांच तहसीलदार खेतड़ी के प्रार्थी/प्रार्थीया की ओर से पेश हुआ। अतः प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। प्रार्थी/प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश आज दिनांक 14.09.23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



*(Signature)*

(जय सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
खेतड़ी जिला नीमकाथाना राज0  
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी